कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश, देहरादून

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम सभा ~~रैनापुर~~ लिस्ट्राबाद में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक (है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ऋषिकेश), ऋषिकेश की बैठक दिनांक 22/3/15 का कार्यवाही विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री संतोष कुमार पाण्डे** उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1.	श्री संतोष कुमार पाण्डे, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश।	—	अध्यक्ष
2.	श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	—	सदस्य
3.	श्री एस०एस० मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी	—	सदस्य/सचिव।
4.	श्रीमती गीता जायसवाल, बी०डी०सी० क्षेत्र, लिस्ट्राबाद	—	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक मार्ग, सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपर्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि,0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून को जनहित में व्यपर्वतन की सहमति प्रदान की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Geeta Jaiswal
गीता जायसवाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रानीपोखरी ग्रान्ट वि.ख. डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

कार्यालय
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
तहसील–ऋषिकेश, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **लिस्ट्राबाद** द्वारा ~~ग्राम सभा~~/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य ~~है अथवा~~ नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम ~~सभा~~ द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम **लिस्ट्राबाद** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को जनपद देहरादून में ग्राम सभा लिस्ट्राबाद रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।
ग्रा०पं०लिस्ट्राबाद बैठक का दिनांक 23/3/14, पृष्ठ 5 की सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

ग्राम सचिव लिस्ट्राबाद

ग्राम प्रधान 2014

मीनी रावत
स.जि.पंचायत रानीपोखरी ग्रान्ट
सदस्य–जिला नियोजन समिति
देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम सभा पंचायत ... दिनांक ... पी0ओ0–सर्नापास ...

208

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No....102/D.M Dehradun .... Dated.09/09/14..

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 0.60 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Renapur Girdhari Lal Fram to Tudaan Majare into 2 lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Renapur village(s) in Doiwala tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 0.60 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.

b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

c. the proposal does not invole recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature
(Full name and offial seal of the District Collector)

(चन्द्रेश कुमार)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी, देहरादून
District Magistrate,
Dehradun.

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता 09.09.14
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandresh Kumar I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date 15.12.2014 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in Renapur in Girdhari lal Fram to Tudan majare motor road area measuring 0.60 hect. For the construction of in Renapur in Girdhari lal Fram to Tudan majare motor road (1.50 KM.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Doiwala sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 15.12.2014

Deputy Commissioner-cum-chairman

District Level Committee

Annexure-II

FORM-I
(For Project other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No...101/D.M. Dehradun Dated..09/09/14..

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 0.60 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Renapur Girdhari Lal Fram to Tudaan Majare into 2 lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Renapur village(s) in Doiwala tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 0.60 **hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Renapur villages.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature
(Full name and offial seal of the District Collector)